

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 15.05.2017

सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल एवं एक प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज किया व तलाशी ली

सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल ; एक प्राइवेट व्यक्ति और डी.आर.डी.ओ., रक्षा मंत्रालय के अन्य अज्ञात कर्मियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1) (डी) के तहत मामला दर्ज किया। वर्तमान मामला, वर्ष 2004-2006 के दौरान आरोपियों के मध्य आपराधिक षडयंत्र के आरोपों से सम्बन्धित है, इसके अनुसरण में लोक सेवकों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और रक्षा मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध एक प्राइवेट व्यक्ति के पक्ष में 12 एकड़ व 01 गुन्टा की भूमि के हस्तांतरण द्वारा भारत के साथ धोखाधड़ी की।

आरोपी व्यक्तियों के बंगलौर, हैदराबाद एवं जिला कोडगु स्थित आवासीय एवं कार्यालयी परिसरों सहित 07 स्थानों पर आज तलाशी की जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

आगे की जाँच जारी है।
